

Form No. III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
सरकार बनाम फूलादेवी आदि

किरम मुकदमा - धारा अन्तर्गत 131 व 132 एतआरए

न मुकदमा 16

/2022

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

04/02/22

तहसीलदार लूनकरणसर से ग्राम/चक मलकीसर के मुरबा /खसरा नम्बर 377, 378, 379, 380, 737/388, 387, 385 मे रो होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरणसर के द्वारा अभिशपित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेड में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	नु. नम्बर /ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है।	नाम खातेदार
1.	377	1.00	बा.1	0.03	अराजीराज
2.	378	6.12	बा.2	0.16	फूलादेवी पत्नी मदनलाल, ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम वगै. जाति ब्राहमण
3.	379	3.79	बा.2	0.10	रावतराम पुत्र मोहनराम, हरीराम, गणेशाराम पि. रघुनाथराम
4.	380	2.76	बा.2	0.08	रावतराम पुत्र मोहनराम, हरीराम, गणेशाराम पि. रघुनाथराम
5.	737/388	3.50	बा.2	0.13	मनोहरी पत्नी बंशीलाल वगै. जाति ब्राहमण
6.	387	7.21	बा.2	0.18	शेरादेवी पत्नी जगन्नाथ वगै. जाति ब्राहमण
7.	385	0.08	बा.2	0.08	शांति पत्नी रावतराम वगै. जाति जाट

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदनुसार तहसीलदार लूनकरणसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

रुत

